शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 29.01.24

थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा जमीन के नाम पर फर्जी बैनामा व धोखाधडी/ अमानत मे खयानत करके 30 लाख रूपये की ठगी करने वाले अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तारः

श्री अशोक कुमार मीणा,पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशनुसार, श्री मनोज कुमार अवस्थी,अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्री पंकज पंत, क्षेत्राधिकारी पुंवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण अपराध रोकधाम के क्रम मे थाना पुवायां पुलिस टीम द्वारा जमीन के नाम पर फर्जी बैनामा व धोखाधडी/ अमानत मे खयानत करके 30 लाख रूपये की ठगी करने वाले अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया। दिनांक 24.01.24 को वादी श्री आकाश कुमार पाल द्वारा थाना पुवायां जिला शाहजहाँपुर द्वारा थाना हाजा पर तहरीर देकर फर्जी बैनामा धोखा-धडी व अमानत मे खयानत करके 10 लाख रूपये नकद व 20 लाख रूपये आरटीजीएस के माध्यम से कुल 30 लाख रूपये दिये। उपरोक्त प्रकरण के सम्बंध मे थाना पुवायाँ पर मु0अ0सं0 58/24 धारा 406/420 भादवि बनाम उपकार उर्फ राजीव आदि पांच नफर के विरूद्ध दि0 24.01.24 को पंजीकृत कराया गया था दौराने विवेचना अभियुक्तगणों क्रमशः उपकार व विनय कुमार पुत्रगण सुरेश ग्राम मिश्रीपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर, परंतु प्राप्त आधार कार्ड से जिनका मूल नाम राजीव व नन्हेलाल पुत्रगण रामस्वरूप ग्राम नथुआपुर थाना सिंधौली पाया गया एवं उक्त लोगो के द्वारा अपने सहयोगियों से मिलकर मूल नाम को अभिलेखो(आधार कार्ड) मे कूटरचना कर अपना नाम उपकार व विनय पुत्रगण सुरेश निवासी ग्राम मिश्रीपुर थाना क्षेत्र सिंधौली स्थित जमीन का बैनामा कर वादी से ठगी किए जाने की बात प्रकाश में आयी है। विवेचना के क्रम मे उपरोक्त मुकदमे मे नामित अभियुक्त गण राजीव व नन्हेलाल पुत्रगण रामस्वरूप निवासीगण ग्राम नत्थुआपुर थाना सिंधौली शाहजहाँपुर के कब्जे से 9 लाख रूपये नकद एक पीली धातु की चैन व कान के टाप्स बरामद कर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. राजीव पुत्र सुरेश ग्राम नथुआपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर
2. नन्हेलाल पुत्र सुरेश ग्राम नथुआपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर

आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0स0 058/24 धारा 406/420/ 467/468/471/411 भा0द0वि0

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त 1. उपकार उर्फ राजीव पुत्र सुरेश के कब्जे से पीली धातु एक गले की चैन व कान के टाप्स कीमती करीब 1 लाख रूपये व 4 लाख रूपये नकद

अभियुक्त 2. विनय उर्फ नन्हे के कब्जे से 5 लाख रूपये नकद

गिरफ्तारी टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राय थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. वरिष्ठ उप-निरीक्षक सकतावत सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 2637 अक्षय राठी थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 2784 अंकित कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
5. म0का0 भूषण चौधरी थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

पूछताछ विवरण:-

पूछताछ पर बताया कि ग्राम नथुआपुर में कृषि भूमि गाटा सं0 11 मि0 रकवा 4.0470 हे0 जो कि अभिलेखों में किसी उपकार व विनय के नाम से थी एवं उक्त जमीन का कोई भी गांव में वारिस नहीं था जिसकी जानकारी जब अभियुक्त गणों को अपने अन्य सहयोगियों निसार व वारिस के माध्यम से हुयी तो हम लोगो ने योजनाबद्ध तरीके से अपने मूल नाम राजीव व नन्हेलाल को वारिस व निसार की मदद से अपने आधार कार्ड में कूट रचना कराते हुए उपकार व विनय कुमार के नाम से परिवर्तित करा लिया था एवं उक्त भूमि को आकाश कुमार पाल पुत्र धनपाल निवासी नवादा इन्देपुर थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर के नाम से दिनांक 03.01.24 को कुल कीमत 20 लाख रूपये जरिये आर0टी0जी0एस व 10 लाख रूपये नकद कुल 30 लाख रूपये प्राप्त कर बैनामा कर दिया था एवं उक्त रूपयों में से गिरफ्तार अभियुक्त गण क्रमशः राजीव उर्फ उपकार द्वारा स्वयं 5 लाख रुपये व नन्हे उर्फ बिनय द्वारा 5 लाख रूपये कुल 10 लाख रूपये प्राप्त किए गए एवं शेष पैसे अन्य अभियुक्त गणों ने बंटवारा कर दिया था। विवेचना के क्रम मे गिरफ्तार किए गए अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि हम लोगो ने प्राप्त पैसों को अपने नथुआपुर गांव स्थित घर के कमरे में स्थित बक्से में रख रखा है एवं उपकार उर्फ राजीव द्वारा यह भी बताया गया कि मैने अपने हिस्से के प्राप्त 5 लाख रूपये में से 1 लाख रूपये से अपनी पत्नी के लिए गले की सोने की चेन व कान के टाप्स खरीद लिए थे जो कि मेरे हिस्से के बचे 4 लाख रूपये नकद के साथ ही रखे हुये है अभियुक्तगणों के द्वारा बयां निशानदेही पर कुल 9 लाख नकद व पीली धातु सोने की चेन व टोप्स बरामद करते हुए मुकदमा उपरोक्त में 467/468/471/411 आई0पी0सी0 की वृद्धि की गयी व शेष अभियुक्तगणों एवं माल मुकदमाती पैसों की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं विवेचना प्रचलित है।